उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या-24/2016/728/ई-1/तेरह-2016-96/2016

लखनऊ:: दिनांक: 06 जून, 2016

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से आबकारी विभाग के निम्नलिखित उप आबकारी आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित स्थान से स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4
1	राजेश कुमार सिन्हा	उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी	उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर
2	श्याम प्रकाश चौधरी	उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, मानव ब्रिवरी, गाजियाबाद	उप आबकारी आयुक्त, आजमगढ़ प्रभार, आजमगढ.
3	राकेश कुमार चतुर्वेदी	उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ जोन, लखनऊ, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, बभनान आसवनी, गोण्डा	उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ. प्रभार, अलीगढ.
4	रवीन्द्र कुमार निगम	उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ जोन, लखनऊ, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, बलरामपुर आसवनी, बलरामपुर	उप आबकारी आयुक्त (वितरण), मुख्यालय, इलाहाबाद
5	सुनील कुमार मिश्र	उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ जोन, लखनऊ, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, बजाज हिन्दुस्थान लि0, खम्भार खेड़ा, खीरी	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय
6	दिनेश सिंह	उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ जोन, लखनऊ, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, पलिया आसवनी खीरी	उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय

डा0 अशोक चन्द्र,

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/ 16/2016/728 (1) /ई-1/तेरह-2016-96/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(5) सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त।
(**6**) सम्बन्धित अधिकारी।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।